न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

विविध फौजदारी प्रकरण सं. 01/2017

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी बाड़मेर		1. हरिराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मौखाब बस्ती पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर 2. प्रहलादराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी मौखाब पलिस थाना शिव जिला बाड़मेर

विविध फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अभियोजन अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 09.07.2019

1. इस न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण सं. 08/2015 सरकार बनाम हरिराम मे गैर सायल हरिराम पेशी तारीख 04.01.2017 को स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा है व उसके हाजरी बाबत जमानत व मुचलके जब्त किये जाकर यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 हरिराम के विरूद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना शिव द्वारा जरिये पुलिस अधीक्षक बाड़मेर प्रकरण सं. 08/2015 अन्तर्गत धारा 2(ख)(8/3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण मे गैर सायल (अप्रार्थी सं. 1)

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.)बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के विरूद्ध धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी गया। थानाधिकारी पुलिस थाना शिव द्वारा गैर सायल को दिनांक 11.07.2016 को गिरफ्तार कर इस न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागृह बाड़मेर भेजा गया। इस पर गैर सायल की ओर से अप्रार्थी सं. 2 द्वारा रूपये 25000/- जमानत एवं इसी कदर गैर सायल का 25000/- रूपये का निजी मुचलका प्रस्तुत कर स्वंय को संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध किया गया कि गैर सायल हरिराम प्रकरण मे सुनवाई के दौरान निर्देश अपेक्षा/प्रतिषेध/निर्बन्धन/शर्त का अनुपालन करेगा तथा उसमे उसके द्वारा व्यतिक्रम किये जाने की दशा मे रूपये 25000/- की राशि प्रतिभू के रूप मे राजस्थान राज्यपाल को समपृहृत हो जावेगी। गैर सायल हरिराम द्वारा प्रकरण मे सुनवाई के दौरान पेशी तारीख 04.01.2017 को स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा तथा उसकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा गैर सायल की हाजरी माफी का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। गैर सायल का स्वेच्छा से तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहना उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत एवं मुचलका की शर्त भंग मानते हुए जमानत मुचलके जब्त किये गये तथा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जारी नोटिस उनसे व्यक्तिशः तामील एवं समुचित सूचना के बावजूद अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 दौरान सुनवाई उपस्थित रहा है, किन्तु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी अभियोजन अधिकारी बाड़मेर ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 को प्रकरण सं. 8/2015 मे दौरान सुनवाई नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए न्यायालय निर्देशों की पालना बाबत अप्रार्थी सं. 2 की ओर से रूपये 25000/- की प्रतिभू पेश की गई एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भी इसी कदर निजी मुचलका प्रस्तुत कर अपने आप को शर्तों/निर्देशों की पालना हेतु

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आबद्ध किया गया था। प्रकरण मे सुनवाई दिनांक 04.01.2017 को अप्रार्थी सं. 1 स्वेच्छया अनुपस्थित रहा तथा अनुपस्थिति को कोई कारण भी प्रकट नही किया गया। इस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जमानत व मुचलका जब्त किया गया है। अतः जब्तशुदा जमानत व मुचलका की राशि अप्रार्थीगण से वसूल की जाकर राजकोष मे जमा कराये जाने का आदेश फरमाया जावें। अप्रार्थीगण को इस प्रकरण मे जारी नोटिस तामील हो जाने के बावजूद कोई संतोषप्रद कारण जवाब प्रस्तुत नही किया है तथा उनकी यह मौन स्वीकृति ही उनके विरूद्ध सक्षम साक्ष्य हैं कि उनके द्वारा जमानत मुचलके की शर्त भंग का कोई कारण नही हैं। ऐसे मे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के तहत गैर सायल सं. 1 द्वारा प्रस्तुत निजी मुचलका (बन्ध–पत्र) राशि 25000/– एवं अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत जमनात राशि रूपये 25000/– अप्रार्थीगण से वसूल किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 हरिराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मौखब बस्ती पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत निजी मुचलका (बन्ध–पत्र) राशि 25000/– एवं अप्रार्थी सं. 2 प्रहलादराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर (मौखाब) पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत जमनात राशि रूपये 25000/– वसूल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध वसूली के कुर्की वारण्ट जारी हों।

6. आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

Scanned by CamScanner